न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–157/2014

मो0 फुलगमिया देवी वगैरह.................................वादीगण

बनाम

सोनखा देवी वगैरह..प्रतिवादीगण

14.02.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–2'ख' की ओर से अपने पिता द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकृत करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–20.12.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी सं0–2'ख' ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में उनको अपने पिता प्रतिवादी सं0–2 विश्वनाथ महतो के स्थान पर प्रतिादी सं0–2'ख' बनाया गया। प्रतिवादी वर्तमान वाद की सूचना मिलने पर विगत तिथि दिनांक–04.10.2024 को वकालतनामा के साथ वर्तमान वाद में उपस्थित हुए तथा वर्तमान वाद में प्रतिवादी ने पूर्व में दिए गए अपने पिता द्वारा प्रतिवादपत्र को स्वीकार वो ग्रहण करना चाहते हैं तथा प्रतिवादी वर्तमान वाद में अलग से कोई प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–2'ख' को पूर्व में अपने पिता द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकार वो ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादी वर्तमान में आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी सं0–2 विश्वनाथ महतो पूर्व में दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकृत वो ग्रहण किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु अवश्यक प्रतीत होता है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–2'ख' का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा वादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है। अतः प्रतिवादी सं0–2'ख' द्वारा दाखिल आवेदन वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायहित में स्वीकृत करते हुए प्रतिवादी सं0–2'ख' को अपने पिता द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकृत वो ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है तथा अभिलेख को पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक– 25-04-2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु। शेष प्रति0 प0 [illegible] करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।